

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1.अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3.अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 6.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2020

विषय: प्रदेश में 'मिशन रोजगार' अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से 'मिशन रोजगार' के नाम से एक विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों जिनमें कि विभिन्न प्राधिकरण विशेषकर विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से एक समन्वित रूप से प्रदेश में युवाओं हेतु रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से, भूमि आवंटन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स व अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान में संलग्न-क' पर दिये गये विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य-योजना बनाई जायेगी तथा इस कार्य-योजना के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन इत्यादि के माध्यम से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से सृजित रोजगार, स्वरोजगार के सम्बन्ध में विस्तृत संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सहित कार्य-योजना को कार्यमूर्त देकर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकार के संचालित किये जाने वाले कार्यों की एक उदाहरणस्वरूप सूची संलग्नक-'ख' पर उपलब्ध कराई जा रही है।

2. प्रत्येक विभाग, संगठन, प्राधिकरण आदि द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाये। उक्त हेल्प डेस्क पर उस विभाग से सम्बन्धित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का समुचित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित परन्तु राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठाकर रोजगार, स्वरोजगार पाने का इच्छुक होगा, उसका विवरण रखा जायेगा तथा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी चयन के समय उसको सूचित करके बुलाया जायेगा तथा पात्रता के आधार पर सम्बन्धित कार्यक्रमों में चयनित किया जायेगा। ऐसे विभाग जिनका रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप की योजनाएं ऑनलाईन चलाई जा रही है, रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा उनका डेटा बेस तैयार किया जायेगा।

3. मिशन रोजगार के सम्बन्ध में समस्त डेटा बेस रखने की जिम्मेदारी तथा इस सम्बन्ध में एक एप तथा पोर्टल विकसित किये जाने की जिम्मेदारी निदेशालय, प्रशिक्षण एवं रोजगार की होगी। इस हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत समस्त निदेशालय/निगम/बोर्ड/आयोग इत्यादि अपने विभाग हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उसकी प्रविष्टि पोर्टल पर उपलब्ध स्थान पर उल्लिखित करेंगे। रोजगार से संबंधित डाटा की प्रविष्टि प्रत्येक पाक्षिक तिथि (प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के अन्तिम दिवस) पर अद्यतन कराने का दायित्व संबंधित विभागीय नोडल अधिकारी का होगा। साथ ही उक्त नोडल अधिकारी द्वारा मिशन रोजगार अभियान के संबंध में विभागीय कार्ययोजना भी पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

4. मिशन रोजगार के सम्पूर्ण कार्यक्रम अभियान का संचालन शासनादेश संख्या 434/ छत्तीस-5-2020-8(29)/2020 दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के अन्तर्गत किया जायेगा। मिशन रोजगार अभियान के संचालन का अनुश्रवण इस आयोग एवं आयोग के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद/बोर्ड एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक विभागीय योजनाओं में सृजित होने वाले रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के लक्ष्य/प्राप्ति की कार्ययोजना तैयार कर शासनादेश जारी किये जाने की तिथि के पन्द्रह दिवस के अन्दर सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अपलोड की जायेगी तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी लक्ष्य/कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूपों पर अपनी सूचनाएं अद्यतन की जायेगी। आयोग के माध्यम से की जाने वाली समीक्षा बैठकों में इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पोर्टल पर अंकित डाटा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण (लाभार्थी का नाम, आयु, योग्यता, पता इत्यादि) की उपलब्धता विभाग के पास अद्यतन हो, जिससे विभागों में संचालित योजनाओं के माध्यम से रोजगार/स्व:रोजगार प्राप्त लाभार्थी की जानकारी आवश्यक होने पर सरकार को उपलब्ध हो सकेगी। कार्य-योजना बनाते समय विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाये जाने वाली सभी योजनाओं में सृजित होने वाले रोजगार के लक्ष्य तथा उनके समक्ष प्राप्ति तथा ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जागरूकता उत्पन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा।
6. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं व जागरूकता के कार्यक्रम कराये जायेंगे जिनमें लाभार्थियों का चयन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
7. विभाग, आयोगों द्वारा विशेष अभियान चलाकर इस दौरान पूर्व में लम्बित आ रही भर्ती प्रकरणों का निस्तारण कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा नौकरियों के सम्बन्ध में चयन आयोगों को 100 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधियाचन भेजे जायेंगे तथा इनका विवरण उल्लिखित भी किया जायेगा।
8. विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग तथा अन्य किसी प्रकार से भी सेवाओं के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार का उल्लेख भी अपने योजना तथा प्राप्ति में दर्शाया जायेगा।
9. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे, जिनमें स्थानीय प्रतिनिधियों, मा0 विधायक, मा0 सांसद एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जी को आमंत्रित किया जायेगा, जिनमें जनपद स्तर पर लाभार्थियों के चयन, लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र देना, लाभार्थियों को नियुक्ति-पत्र देने जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
10. सूचना विभाग द्वारा जनपदों में तथा प्रदेश स्तर पर विभिन्न माध्यमों से मिशन रोजगार के सभी कार्यक्रमों का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। इस हेतु अपर मुख्य सचिव, सूचना यह सुनिश्चित करायेंगे कि प्रत्येक जनपद की प्रचार योजना का कार्य मिशन रोजगार प्रारम्भ होते ही शुरू कर दिया जायेगा।

संलग्नक -यथोक्त ।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-क

रोजगार

1. सभी राजकीय विभागों की नौकरियां
सृजित पद/रिक्त पद
2. विभागों में आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्तियों की संख्या।
3. विभागों द्वारा कौशल विकास/प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या।
4. विभागों द्वारा स्वरोजगार की योजनाएं व लाभार्थियों की संख्या।
5. विभागों द्वारा Promote किए जाने वाले संस्थानों तथा इन संस्थानों में नौकरियों की संख्या।
6. विभिन्न विभागों द्वारा Promote किए जाने वाले उद्योगों में सीधे नौकरियों का विवरण व संख्या।
7. विभिन्न विभागों द्वारा Promote किए गए उद्योगों के उप उद्योगों (Ancillaries) के माध्यम से नौकरियों का विवरण व संख्या।
8. विभिन्न विभागों द्वारा महिला/पुरुष स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा संचालन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोजगार का विवरण।
9. विभिन्न समूहों द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्रों के विकास के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसर।
10. विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस/अनुमतियों का विवरण जिसके माध्यम से व्यापार/छोटे व्यवसाय स्थापित होते हैं जैसे- खाद का लाइसेंस, खाने पीने की वस्तुओं, दवाओं की फैक्ट्रियों के लाइसेंस इत्यादि।
11. विभिन्न विभागों द्वारा अन्य संस्थाओं में व्यवसाय/नौकरी हेतु विकसित प्रशिक्षण तन्त्र के अन्तर्गत सृजित रोजगार जैसे- बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट।
12. विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं की नियुक्ति जैसे- राशन की दुकान इत्यादि।
13. विभिन्न विभागों द्वारा सेवाओं को Outsource करने से सृजित सीधे रोजगार
जैसे - 1. Common Service Centre
2. ई-सुविधा केन्द्र, पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत नियुक्त बिलिंग एजेन्सी तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या।
3. NEDA द्वारा सोलर एनर्जी योजनाओं में प्रदत्त अनुमतियां/पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदत्त Power Generation/Distribution/Transmission licence.
14. विभिन्न विभागों द्वारा Outsource किए गए Works के द्वारा उपलब्ध रोजगार जैसे- PWD द्वारा Awarded Contract, सिचाई विभाग, जल विभाग, निर्माण निगम सभी विभाग। सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण के कार्यों हेतु नियुक्त किए गए ठेकेदारों द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15. निजी विश्वविद्यालयों /विद्यालयों की स्थापना के लिए दी गई अनुमतियां।
16. विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित किए जा रहे Plots पर स्थापित हो रही निजी इकाईयों के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार का विवरण।
17. ऐसे विभिन्न संस्थाएं/उद्योग/व्यवसाय जो बैंकों द्वारा सीधे प्रदेश में विस्थापित किए जा रहे हैं उनके माध्यम से उत्पन्न रोजगार।
18. ऐसी संस्थाएं जो Public issue/Foreign debt के माध्यम से इकाईयां स्थापित कर रहे हैं के माध्यम से सृजित रोजगार।
19. विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सृजित हो रहे रोजगार का विवरण जैसे- NHAI, PGCIL, Railways
20. केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेन्सों के माध्यम से कार्य कर रही एजेंसी/निजी उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार जैसे- City Gas Service, Petrol Product, Optical Fibre Project, Telephone Tower.
21. निर्यातक उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार/प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
22. जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुमतियों के माध्यम से सृजित रोजगार जैसे- फिल्मों की शूटिंग, मेले/प्रदर्शनियां ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

मिशन रोजगार के तहत इन विभागों द्वारा यह प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से इन रोजगारों का सृजन किया जाता है।

1. अतिरिक्ति ऊर्जा विभाग:

सोलर मित्र, सोलर इन्स्टालेशन मैनेजर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, बैटरी मेनटेनेन्स इंजीनियर, साफ-सफाई एवं देखरेख टेक्नीशियन।

2. एग्रीकल्चर विभाग:-

असेम्बली टेक्नीशियन, ऑटोमेशन टेक्नीशियन, हाइड्रोलिक टैक्नीशियन, रिकार्डकीपर, बायोप्रोसेसिंग एक्सपर्ट।

3. पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग

ए0आई0 टेक्नीशियन सुपरविजन, लाइफस्टाक सुपर विजन, तकनीकी सलाहकार, चारा कृषि विज्ञानी, भेड़पालन।

4. टेक्सटाइल्स विभाग:-

टेक्सटाइल्स इंजीनियर, टेक्सटाइल्स डिजाइनर, हेल्पर, विपणन अधिकारी, लैब सहायक, टेक्नीशियन, प्रिंटिंग मैनेजर, डाइंग मैनेजर।

5. हार्टीकल्चर एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग:

गार्डनर, लैण्ड स्कीप, फील्ड सहायक, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स।

6. आवास विभाग:-

हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, मेन्टेनेन्स सेड्यूलर, फेसिलिटी समन्वयक, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, साफ-सफाई कर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल मेन्टेनेन्स, ड्राइवर (ओला और ऊबर सर्विसेज)

7. सूचना एवं प्रौद्योगिकी:

डीपीओ एक्जीक्यूटिव, कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स, कम्प्यूटर साफ्टवेयर मेन्टेनेन्स, साफ्टवेयर इंजीनियर सीएससी ई-गवर्नेन्स, टेलीकाम टावर मेन्टेनेन्स, मोबाईल रिपेयर, फिन्टेक सर्विसेज, ई-गवर्नेन्स सर्विसेज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग:

स्फूर्ति, क्लस्टर, प्रोडक्शन सेन्टर, पीएमईजीपी, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना

9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग:

क्लस्टर ओडीओपी, क्लस्टर एमएसएमई सीडीपी, ओडीओपी योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना,

10. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग:-

नर्स, टेक्नीशियन, हेल्पर, एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब असिस्टेन्ट, वार्ड ब्वाय, मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, डेन्टल टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेन्ट, स्टोर कीपर, वार्डन, सफाई कर्मचारी, इत्यादि।

11. पंचायती राज विभाग

सेल्फ हेल्प ग्रुप, डीपीआरओ, अपर मुख्य अधिकारी पंचायत, कम्प्यूटर ऑपरेटर

12. ग्राम विकास विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार, मनरेगा।

13. समाज कल्याण विभाग

एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, स्कूल

14. शहरी विकास विभाग

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 75 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

15. महिला कल्याण, बाल विकास विभाग

जिला कार्यक्रम अधिकारी, आशा कार्यकर्त्री, चाइल्ड वेलफेयर आफिसर,

16. खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग

जिला युवा प्रादेशिक विकास अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

